भारतीय भाषाएँ और राष्ट्रीय एकता

सुजाता मगदुम

सह प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय, सदलगा.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18330914

ABSTRACT:

प्रस्तुत शोध आलेख भारत की भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता के बीच के गहरे संबंधों को रेखांकित करता है। लेखिका ने भारत को 'अनेकता में एकता' का प्रतीक मानते हुए भाषा को संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की संवाहिका बताया है। आलेख में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, विशेषकर 'आर्य-द्रविड़' विभाजन और भाषा परिवारों की कृत्रिम अवधारणाओं की आलोचना की गई है। इसमें संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी और राष्ट्रीय एकीकरण के मूल सूत्र के रूप में स्थापित किया गया है। अंततः, लेख प्रांतीयता और भाषावाद से ऊपर उठकर, हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त बनाने पर बल देता है।

KEYWORDS:

राष्ट्रीय एकता, भारतीय भाषाएँ, संस्कृत, बहुभाषिकता, संस्कृति.

भारत अनेकता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह एक बहुभाषी देश है। पूर्व से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं जो देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। भोजपुरी में एक कहावत है- 'कोस-कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी' अर्थात दो-दो मील पर पानी में बदलाव आ जाता है और छह-छह मील पर भाषा-बोली बदल जाती है। हमारा भारत वर्ष इसका जीता-जागता उदाहरण है। भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं बल्कि हमारी परंपरा, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की वाहक भी हैं।

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के शूल"

भारतेंदु हरिश्चंद्र

भाषा किसी भी देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है।

यह संस्कृति की संवाहिका भी होती है। भाषा मात्र ध्वनियों, अक्षर और शब्द भंडार की व्यवस्था नहीं है अपितु यह अपने साथ अनेक विचारों को वहन कर साथ लाती है। यह मनुष्य को संसार को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। उसी समाज, जाति अथवा राष्ट्र को उन्नत समझा जाता है जिसका साहित्य उच्च कोटि का होगा। साहित्य को 'समाज का दर्पण' कहा गया है। समाज के जैसे विचार होंगे, भावनाएं होंगी, उसी प्रकार का साहित्य भी होगा। बिना भाषा के माध्यम के उच्च कोटि के साहित्य का सृजन संभव नहीं है।

भारत में भाषा विवाद शुरू होने का मूल कारण अंग्रेजों की कूटनीति है। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति को बल देने के लिए पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों ने भाषा परिवार की एक मिथ्या कल्पना पर आधारित अवधारणा प्रस्तुत की। "आर्य" शब्द की व्युत्पत्ति उन्हीं की देन है। संस्कृत भाषा से उन्हें इतनी चिढ़ थी कि उसकी प्राचीनता को ही उन्होंने प्रश्नों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की भाषाओं को अनेक भाषा-परिवारों से उत्पन्न बताया जबकि भारतवर्ष की सभी भाषाएं एक ही परिवार की शाखाएं हैं और इसीलिए उनके भीतर एक सांस्कृतिक भाव की स्रोतस्विनी प्रवाहित है, जो इस राष्ट्र को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बनाती है।

भारत में आर्यों के आगमन की कृत्रिम अवधारणा भी उन्हीं की करतूत थी। उनके पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं रहा है कि भारत आने के पूर्व इन कथित आर्यों का मूल निवास कहां रहा और वहां से दो दिशाओं में बिखराव का कारण क्या रहा? वैदिक साहित्य में उस मूल स्थान की चर्चा क्यों नहीं है? वास्तव में यह बताकर कि भारत में सभी जन, द्रविड़, आर्य आदि सभी बाहर से आए हैं उन्हें यह साबित करना था कि उनका भारत आना और यहाँ बस जाना कोई विशेष समस्या नहीं है। अंग्रेजों ने इस कृत्रिम अवधारणा के आधार पर एक अज्ञात 'प्रोटो इंडो यूरोपियन' नाम की भाषा की कल्पना की और संस्कृत को 'इंडो आर्यन' नाम दे दिया। उन्होंने संस्कृत से लेकर फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि भाषाओं को कतिपय शब्द साम्य के आधार पर 'इंडो यूरोपियन' भाषा माना तथा शेष भारतीय भाषाओं को अन्य कल्पित भाषा परिवार से उत्पन्न बताने के लिए 'आर्य-द्रविड़' जैसे षड्यंत्रकारी प्रत्यय को विकसित किया। भाषा परिवार की इसी षड्यंत्रकारी अवधारणा ने कुछ राजनीतिज्ञों को अपनी रोटी सेंकने का अवसर दे दिया है। वास्तव में 'आर्य-द्रविड़' की कल्पना ही कृत्रिम थी।

इसका परिणाम स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन अनेक राहों में बंट गया और उनमें एक विवाद की राह भाषाओं की भी थी। सबको स्वतंत्रता चाहिए थी, साथ में अपनी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनानी थी। बंगालियों को अपनी, तो तमिलवालों को अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित देखना था, बिना इसकी चिंता किए कि भारतीय जनमानस को यह कितना मंजूर होगा।

ऐतिहासिक रूप से यह ज्ञात होता है कि व्याकरण सम्मत भाषा का साहित्य में अत्यंत महत्व था। संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है। वह भारतीय भाषाओं की जननी है। भारतीय जीवन धारा में धार्मिक, सामाजिक कार्य, अनुष्ठानों और संस्कारों की भाषा संस्कृत ही है। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की पूरी व्याख्या संस्कृत भाषा के वाङ्मय में समाविष्ट है। संस्कृत ने ही एक वृहद संस्कृति का निर्माण किया और अपनी सार्वभौमिकता व विशिष्टताओं के कारण वह इंडो-चीन, भारत, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भी प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठित हुई। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एकता का शंखनाद किया। देववाणी संस्कृत साहित्य की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य के आधार पर ही मैक्स मूलर और एडलबर्ट कुहन ने 'तुलनात्मक प्राचीन कथा विज्ञान' नामक विज्ञान को जन्म दिया है।

राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री बी. डी. जत्ती ने संस्कृत का राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्व बताते हुए कहा था कि, "संस्कृत भाषा भारत में पुरातन विचारों की संवाहिका, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षिका है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकीकरण का निर्माण हो सकता है। क्योंकि यह भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारे संस्कृत साहित्य द्वारा भारत के उत्तरी व दक्षिणी भागों में समन्वय स्थापित किया गया है। भाषा विवाद तो संस्कृत भाषा के समक्ष नगण्य हो जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्दों का आधिक्य दक्षिण भारत की भाषाओं में तो दृष्टिगोचर होता ही है, उत्तर भारत की समस्त भाषाओं की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है।"

विश्व में भाषाओं की संख्या अनगिनत है और भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता अधिक है। भारत की विशेषता है कि विविधता में भी एकता है। यूरोप महाद्वीप में भाषाओं के आधार पर

राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, यहां प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा है। भारत में भाषाओं का स्वरूप क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। देशवासियों में परस्पर संपर्क व विचारों का आदान-प्रदान एक राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही होता है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश हैं। परंतु पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में भी हिंदी का उपयोग निरंतर किया जाता है।

राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में राष्ट्रभाषा की भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में भाषाओं की विविधतापूर्ण संस्कृति होने के कारण सभी भाषाओं का आदर व सम्मान तथा विकास किया जाना चाहिए। आधुनिक विश्व के समस्त देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग देना चाहिए। अतः विश्व के अन्य देशों से संपर्क, विचारों का आदान-प्रदान भी वर्तमान युग की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से एक दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान करने में सक्षम होते हैं। भारत की बहुभाषिकता के बावजूद भी एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि भारत का परस्पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व रहा है। मातृभाषा व प्रादेशिक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। साहित्य सृजन किया जाता है परंतु हम सब की परंपराएं व संस्कृति के स्रोत एक ही हैं। भारतीय भाषाओं में परस्पर द्वेष व कटुता नहीं है।

श्री पी. बी. पंडित ने अपनी पुस्तक "इंडिया एज ए सोशियो-लिंगविस्टिक एरिया" में वर्णन करते हुए लिखा है कि- "यूरोप अथवा अमेरिका में दूसरी पीढ़ी प्रभुत्वशाली वर्ग की भाषा के पक्ष में अपनी भाषा को त्याग देती है। भाषा विस्थापन वहां का प्रतिमान है और भाषा अनुरक्षण एक अपवाद। भारतीय संदर्भ में भाषा अनुरक्षण एक प्रतिमान है और भाषा विस्थापन एक अपवाद। भाषाओं का अनुरक्षण क्यों होता है, इस बात से अमेरिकी समाज भाषा-शास्त्री अपनी जिज्ञासा शुरू करते हैं। जबकि भारतीय समाज भाषा-शास्त्री इस बात से अपना अध्ययन शुरू करते हैं, लोग अपनी भाषा को क्यों त्याग देते हैं?" भ्रातृत्व की भावना सदियों से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है जो आज तक अक्षुण्ण है।

राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास करना परम आवश्यक है। प्रांतीयता, भाषावाद, क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना विकसित करनी चाहिए। हमारे देश में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है परंतु फिर

भी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त साधन भी भाषा ही होती है। हमारे देश के विद्यार्थियों को भी इतना सक्षम बनाना है कि वह विभिन्नता में एकता की खोज कर सकें तथा अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को समझकर उसका पुनर्मूल्यांकन कर सकें क्योंकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर भी समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। वह किस प्रकार समाज के साधनों का उचित प्रयोग करके देश के सांस्कृतिक संरक्षण में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं, यह भी चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं। सामाजिकता व राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए संबंधी एक समुचित भाषा नीति का विकास किया जाना आवश्यक है।

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.